



मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

राजा भोज मार्ग, कोलार रोड़ भोपाल-462016
फोन नं-0755-2492096,2900096

क्रमांक /मप्रभोमुवि/कुस/2014

भोपाल,दिनांक / /14

बी.एड. (दू.शि.) सत्र 2013-15 'द्वितीय काउन्सलिंग सूचना'

बी. एड. द्विवर्षीय (दूरस्थ शिक्षा) सत्र 2013-15 में प्रवेश हेतु द्वितीय काउन्सलिंग विश्वविद्यालय की वेबसाइट में दर्शित प्रवेशार्थियों की मेरिट सूची के अनुसार निम्नलिखित तिथियों पर मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड़ मुख्यालय भोपाल में प्रातः 11.00 बजे से प्रारंभ होगी-

क्र.	दिनांक/दिवस	
1.	10/02/2014 सोमवार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सभी प्रवेशार्थी
2.	11/02/2014 मंगलवार	अनारक्षित वर्ग के सभी प्रवेशार्थी

चयनित सभी प्रवेशार्थियों को काउन्सलिंग हेतु पत्र भेजे गये हैं, जिनमें आवश्यक शुल्क राशि एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी है। पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में भी प्रवेशार्थी निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथियों पर उपस्थित हो सकते हैं।

कृपया निम्नलिखित क्रम में दस्तावेजों (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित) को दो पृथक्-पृथक् सेट में व्यवस्थित कर लें, सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज भी काउन्सलिंग के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

1. एम. पी. ऑनलाईन कियास्क के माध्यम से किये गये आवेदन फार्म की दो प्रतियों पर दाहिने कोने पर पासपोर्ट साईज का एक-एक नवीन फोटो आवश्यक रूप से लगाकर अपने साथ लावें।
2. हाईस्कूल,हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट, स्नातक, स्नातकोत्तर परीक्षा की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र ।
3. जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित वर्ग के हों तो) सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

निरंतर....

4. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय विद्यालय में पढाने का कम से कम दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव एवं वर्तमान में निरंतर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र। (सभी प्रमाण पत्र बी. ई. ओ., डी. ई. ओ. अथवा संकुल प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों) केन्द्रीय विद्यालय/सी.बी.एस.ई. में कार्यरत शिक्षक के लिये प्राचार्य द्वारा जारी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र मूलतः स्वीकार किया जायेगा । केवल मध्यप्रदेश में कार्यरत शिक्षक ही प्रवेश के पात्र हैं।

• पात्र उम्मीदवार को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क रूपये 25,000/-(पच्चीस हजार मात्र) किसी भी बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से (जो 'कुलसचिव' मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल के पक्ष में देय हो) जमा करना होगा। डी. डी. के पीछे प्रवेशार्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पता एवं मोबाइल नम्बर लिखें। शुल्क के अभाव में प्रवेश नहीं हो सकेगा । प्रवेश उपरांत शुल्क वापसी योग्य नहीं है।

• आवंटन के पश्चात् अध्ययन केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जावेगा। संबंधित अध्ययन केन्द्र में आपको वर्ष 2013-15 के कार्यक्रम से संबंधित वार्षिक शैक्षिक गतिविधियाँ, इन्डक्शन प्रोग्राम, सम्पर्क कार्यक्रम एवं सत्रांत परीक्षा आदि के बारे में जानकारी दी जायेगी । आपका दायित्व होगा कि आप अध्ययन केन्द्र से उपरोक्त समस्त जानकारी स्वयं प्राप्त कर निर्देशानुसार शैक्षिक कार्यक्रम में समय-समय पर उपस्थित होकर पाठ्यक्रम पूर्ण करें।

• प्रमाण पत्रों तथा आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की विसंगति अथवा प्रवेश पश्चात् किसी भी स्तर पर पात्रता में कमी पाये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिये पूर्ण रूप से प्रवेशार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(डॉ. बी भारती)

कुलसचिव